राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः एफ.4 (393) प्रा.शि. /मु.मं.बाल गोपाल योजना/2022 / 883 दिनांक 05.12.2022

जिला कलक्टर
(समस्त)

विषयः—मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ''मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना'' का दिनांक 29 नवम्बर, 2022 को विधिवत शुभारम्भ किया गया है । योजना के क्रियान्वयन, दूध तैयार करने की विधि एवं बरती जाने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय—समय पर आवश्यक दिशा—निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

योजना के धरातल पर सफलता पूर्वक संचालन हेतु आवश्यक है कि इसका प्रभावी पर्यवेक्षण हो। इस सम्बन्ध में पूर्व जारी किये गये निर्देशों के साथ—साथ निम्नलिखित निर्देशों की पालना की जाये।

- जिला एवं ब्लॉक स्तर पर गठित समिति की प्रत्येक मासिक बैठक में मिड डे मील के साथ—साथ इस योजना के बेहत्तर क्रियान्वयन के लिये एजेण्डे में शामिल किया जाये।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) की देखरेख में Skim Milk Powder (SMP) से दूध तैयार किया जाये तथा छात्र—छात्राओं को उपलब्ध कराने से पूर्व अध्यापक द्वारा चखा जाये एवं इसका रजिस्टर संधारण किया जाये।
- दूध तैयार करने वाले स्थान को दूध गर्म करने से पूर्व एवं पश्चात अच्छी तरह से साफ—सफाई की जाये।
- दूध तैयार करने वाले तथा गर्म करने के लिये इस्तेमाल में आने वाले बर्तन एवं गिलास आदि की ढंग से साफ—सफाई हो। छात्र—छात्राओं को दूध गर्म करने वाले स्थान से दूर रखा जाये एवं विद्यार्थियों से दूध Serve नहीं कराया जावे।
- मिड डे मील योजना के निरीक्षण के साथ—साथ इस योजना का भी निरीक्षण कराया जाये एवं यह जांच की जाये कि विद्यालयों में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार पालना सुनिश्चित की जांच की जा रही है अथवा नहीं। मध्यान्ह भोजन की तरह ही दूध को भी निरीक्षणकर्ता द्वारा पीकर जांचा जाये।
- Skim Milk Powder (SMP) अवधि पार होने की स्थिति में उपयोग में नहीं लिया जाये।
- दूध पीने से छात्र—छात्राओं के तबीयत बिगड़ने सम्बन्धित कोई जानकारी प्राप्त होने पर तुरन्त छात्र—छात्राओं का निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाकर ईलाज कराया जाये।

पताः—प्रथम तल, नवजीवन सहकारी बाजार,, भवानी सिंह मार्ग, सी—स्कीम जयपुर।
फोन नं. 0141—2221960, ई—मेल mdm-rj@nic.in

प्रकरण की जांच करते हुये सैम्पल की लैब से जांच करवाई जाये साथ ही सम्बन्धित दुग्ध संघ से भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की जाये।

- योजना के सम्बन्ध में विद्यालय एवं दुग्ध संघ अथवा किसी स्तर पर कोताही बरतने पर नियमानुसार सम्बन्धित के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जाये।

चुंकि उक्त योजना विद्यार्थियेां के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। अतः योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अपेक्षित निर्देश सम्बन्धित को जारी किये जाये एवं प्रभावी पर्यवेक्षण किये जाने का श्रम करें।

5/12/2022

(डॉ.मोहन लाल यादव)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः एफ.4 (393) प्रा.शि. /मु.मं.बाल गोपाल योजना/2022 / 883 दिनांक 05.12.2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग,जयपुर।
2 प्रबन्ध संचालक,राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, (RCDF)जयपुर।
3 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
4 निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5 सचिव,राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
6 संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा (समस्त)।
7 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, (समस्त)
8 जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),प्रारम्भिक (समस्त)।
9 प्रभारी आईटी सैल कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10 रक्षित पत्रावली।

05/12/22

(डॉ.आशिष व्यास)
उपायुक्त